

THE UTTAR PRADESH UNAUTHORISED MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PREVENTION) (AMENDMENT) ACT, 1975*

[U. P. ACT NO. 37 OF 1975]

[†Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Apradhikrit Chikitsa Shikshan Sanstha (Niwaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975.]

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) (Amendment) Act, 1975. Short title.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) Act, 1973, in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be and be deemed always to have been substituted, Amendment of section 3 of U. P. Act no. 5 of 1973.
namely :—

“(b) arrangements shall be made for coaching students admitted as aforesaid for preparing them to appear at a special test for admission to the recognised medical colleges of the State, and the expenditure incurred on such coaching and holding the test shall be deducted from the moneys referred to in clause (a), and any student may on or before March 31, 1976 apply to the Director for refund of the balance of the sum paid by him, and the Director may refund such proportion thereof as may be available *pro rata* for him out of the unspent amount ;”

†(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 30, 1975.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on July 30, 1975 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 4, 1975.)

(Received the Assent of the Governor on August 13, 1975 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 22, 1975.)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन)
अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1975)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 30 जुलाई, 1975 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अगस्त, 1975 की बैठक में स्वीकृत किया।)

(‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 13 अगस्त, 1975 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 अगस्त, 1975 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्ठीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 में, उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय और सदैव से पढ़ा गया समझा जाय, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1973 की धारा 3 का संशोधन।

“(ख) उपर्युक्त प्रकार के प्रविष्ट विद्यार्थियों को राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने के लिये विशेष परीक्षा में बैठने के लिये तैयार करने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया जायगा, और ऐसा प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा लेने में उपगत व्यय खंड (क) में अभिविष्ट धन में से काट लिया जायगा, और कोई भी विद्यार्थी दिनांक 31 मार्च, 1976 को या उसके पूर्व अपने द्वारा भूगतान की गयी धनराशि के अतिशेष की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेगा, तथा निदेशक उसके ऐसे अंश को जो व्यय के दाव बची धनराशि से अनुपाततः उनके लिये उपलब्ध हो, लौटा सकेगा”।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 30 जुलाई, 1975 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)